


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.09.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार भीलवाड़ा ने पत्र क्रमांक भू030 /2024/2402 दिनांक 12.09.2024 से प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.09.2024 की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जिसे वादी अधिवक्ता ने स्वीकार किया। विभाजन प्रस्ताव के अन्तर्गत निम्नानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है :-</p> <p>ग्राम पुर पटवार हल्का पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा।</p> <p>1. नारायण लढा पुत्र केदार लाल लढा जाति महाजन निवासी 02-एफ-11 आर0 सी0 व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा, खातेदार के निम्न आराजी नम्बर रहेगी :-</p> <p>आराजी नम्बर 380/1 क्षेत्रफल 0.7322 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 381/1 क्षेत्रफल 0.0165 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 383/1 क्षेत्रफल 0.0858 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 384 क्षेत्रफल 0.3035 हैक्टेयर कुल किता 04 कुल रकबा 1.1380 हैक्टेयर भूमि रहेगी।</p> <p>2. शंकरलाल पुत्र जगन्नाथ माली सा0 देह खातेदार भीलवाड़ा के निम्न आराजी नम्बर रहेगी :-</p> <p>आराजी नम्बर 380/2 रकबा 0.2794 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 381/2 रकबा 0.3755 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 382 रकबा 0.3667 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 383/2 क्षेत्रफल 0.1165 हैक्टेयर, कुल किता 04 कुल रकबा 1.1381 हैक्टेयर रहेगी।</p> <p>उपरोक्तानुसार अन्तिम डिक्री का राजस्व अभिलेख में तहसीलदार भीलवाड़ा अमल दरामद करें, निर्णय आज दिनांक 12.09.2024 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।</p> <p style="text-align: center;"> सहायक मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा</p>	

वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी:-आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या

दायर दिनांक

निर्णय दिनांक

75/2024

28.08.2024

12.09.2024

उनवान

1. नारायण लढा पुत्र केदार लाल लढा जाति महाजन निवासी 02-एफ-11 आर0 सी0 व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा तहसील भीलवाड़ा व जिला भीलवाड़ा (राज0)

--- वादी

बनाम

1. श्री शंकरलाल पुत्र जगन्नाथ माली निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा।

---प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1. वादी अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार सेन उपस्थित।
2. विपक्षीगण उपस्थित नहीं।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 व 54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत विभाजन कराये जाने कृषि आराजियात

वादी की और से अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार सेन उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या 01 उपस्थित नहीं। प्रकरण में - इस वाद में तारीख 12.09.2024 पीठासीन अधिकारी आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया गया है, जिसकी अन्तिम डिक्री दी जाती है :-

ग्राम पुर पटवार हल्का पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा।

1. नारायण लढा पुत्र केदार लाल लढा जाति महाजन निवासी 02-एफ-11 आर0 सी0 व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा, खातेदार के निम्न आराजी नम्बर रहेगी :-

आराजी नम्बर 380/1 क्षेत्रफल 0.7322 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 381/1 क्षेत्रफल 0.0165 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 383/1 क्षेत्रफल 0.0858 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 384 क्षेत्रफल 0.3035 हैक्टेयर कुल किता 04 कुल रकबा 1.1380 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

2. शंकरलाल पुत्र जगन्नाथ माली सा0 देह खातेदार भीलवाड़ा के निम्न आराजी नम्बर रहेगी

:-

आराजी नम्बर 380/2 रकबा 0.2794 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 381/2 रकबा 0.3755 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 382 रकबा 0.3667 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 383/2 क्षेत्रफल 0.1165 हैक्टेयर, कुल किता 04 कुल रकबा 1.1381 हैक्टेयर रहेगी।

उपरोक्तानुसार विभाजन का राजस्व अभिलेख में तहसीलदार भीलवाड़ा अमल दरामद कार्यवाही करें।

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा